8/3/17	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2062-65 के अनुसार मौजा आखोदा तहसील सपोटरा की विवादित आराजीयात किता 16 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा भूमि विरासत के नामान्तरकरण द्वारा बृजलाल पुत्र बकुल्या, किस्तूरी बेवा बुकल्या हिस्सा 1/2 हरिकेश, राजाराम पि० फाबूल्या जलबाई बेवा फाबूल्या हिस्सा 1/2 जाति मीणा के नाम पर दर्ज की गई है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2070-2073 में उपरोक्त विवादित आराजीयात बृजलाल पुत्र बुकल्या हिस्सा 1/2 हरिकेश, राजाराम पि० फाबूल्या व जलबाई बेवा फाबूल्या हिस्सा 1/2 के नाम पर दर्ज है। उपरोक्त जमाबंदियों के अंकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज थी तथा जरिये विरासत प्रतिवादी नं. 2 व 3

व प्रति नं. 1 के पति के नाम पर दर्ज हुई है। अर्थात विवादित अराजीयात वादीगण की पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित है।

वादीगण फाबुल्या की पुत्रियां हैं या नहीं, इनका हिस्सा अपने पिता की भूमि में बनता है या नहीं, मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है या नहीं आदि समस्त विषयों का निस्तारण दावे में मैरिट के आधार पर कानूनन किया जायेगा।

लेकिन यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना बंटवारा कराये संयुक्त खातेदारी की समस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का उनके हिस्सेनुसार बराबर हक होता है, इसलिए मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश न्यायोचित नहीं है। साथ ही कम्मो बेवा हरिकेश को अपने पति हरिकेश की विरासत का नामान्तर करना

Sig.

सक्षम स्तर पर आवेदन करके दर्ज कराने का प्राकृतिक हक प्राप्त है उसे इस हक से वंचित किया जाना भी न्यायोचित नहीं है।

अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15/10/14 में आंशिक परिवर्तन कर दावे के फैसले तक प्रतिवादी सं. 2 लगायत 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम जारखोडा की उपरोक्त विवादित आराजीयात किता 16 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा में से अपने हिस्से को बेचान, दान व रहन किसी अन्य व्यक्ति / बैंक को नहीं करें। प्रतिवादी सं. 1 कम्मो बेवा हरिकेश नियमानुसार सक्षम स्तर पर आवेदन करके अपने पति की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए स्वतंत्र रहेगी. लेकिन विरासत खुलने के पश्चात कम्मो भी विवादित आराजीयात में अपने हिस्से का बेचान, दान व रहन किसी भी इतर व्यक्ति / बैंक को नहीं करेगी

RJ4

नम्बर व अहकामज... क... तामीलमेंज...	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	प्रतिवादी नं. 4 के हिस्से 1/2 की भूमि पर कोई विवाद नहीं है अतः प्रतिवादी नं. 4 के विरूद्ध पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त किया जाता है। आदेश आज दिनांक 8/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे। Riy 8/3/17	